कार्यालय परियोजना निदेशक पी.पी.पी. सा.नि.वि. अजमेर

क्रमांकः– **दिनांकः– 10.04.2023**

सेवामें,
श्रीमान उप वन संरक्षक
अजमेर।

विषयः– Diversion of 1.2401 ha. forest land for Development of Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E, from existing km 44.300 to km 0.000, in the state of Rajasthan (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/21362/2016.

संदर्भ– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान अरण्य भवन, झालान संस्थानिक क्षेत्र जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14( ) 2016/एफसीए/प्रमुवसं/4589 दिनांक 18-01-2023

महोदय,

उपरोक्त विष्यांतर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान अरण्य भवन, झालान संस्थानिक क्षेत्र जयपुर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक एफ 14( ) 2016/एफसीए/प्रमुवसं/4589 दिनांक 18-01-2023 को उक्त प्रस्ताव में आक्षेप लगाए थे, जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि से गुजरने वाली सडक के दोनों ओर दीवार प्रस्तावित की गयी है, किन्तु स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त दीवार कितनी लम्बाई में बनायी जावेगी एवं उसकी राशि कितनी होगी। उप वन संरक्षक, अजमेर उक्त शर्त बाबत् दीवार की लम्बाई एवं धनराशि का आकलन एवं यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न की जावें।	आपके कार्यालय से संबंधित है।
2.	उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनखण्ड का नाम Kanel nand अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित वनभूमि Lamba beer and dora wala nadi वनखण्ड का हिस्सा है।	आपके कार्यालय से संबंधित है।
3.	प्रत्यावर्तित वनभूमि के वनखण्ड की प्रतियां संलग्न नहीं की गयी है।	आपके कार्यालय से संबंधित है।
4.	जिला कलेक्टर हेतु आलौच्य प्रस्ताव में 6.25 है0 आरक्षित की गयी है किन्तु वर्तमान में प्रस्ताव में वनभूमि का प्रत्यावर्तन 1.2401 है0 का है। भूमि के आवंटन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न नहीं है।	उक्त बिन्दु की पालना में अवगत करवाना है कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव संख्या. FP/RJ/ROAD/21332/2016 (4.9696 ha.) एवं प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/21362/2016 (1.2401 Ha.) के लिए एक साथ 6.25 Ha. गैर वन भूमि आरक्ष्ति की गई है एवं उसी के अनुरूप गैर वन भूमि के एस.ओ.आई टोपोशीट मैप, डिजिटल मैप एव के.एम.एल

		फाईल तैयार की गई है, प्रतिलिपि संलग्न है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना आपके कार्यालय से संबंधित है।
5.	वर्तमान प्रस्ताव सड़क के चौडाईकरण का है। उक्त सड़क 1980 से पूर्व की है इस हेतु तहसीलदार का पत्र संलग्न किया गया, जबकि इसमें राजस्व मैप (पुराना)/जी.टी. शीट/ के. एम.एल. फाईल 1980 से पूर्व की हो या कोई पुराना दस्तावेज जो 1980 से पूर्व का अपलोड किया जाना है।	उक्त बिंदु की पालना में अवगत करवाना है कि Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E 1980 से पूर्व प्रचलित है एवं उक्त सड़क भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र के प्रथम संस्करण (वर्ष 1971) में भी दर्शायी हुई है, प्रतिलिपि संलग्न है।
6.	प्रस्ताव के साथ संलग्न एफआरए प्रमाण–पत्र में उपखण्डस्तरीय, ग्राम स्तरीय बैठकों की प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	एफआरए प्रमाण–पत्र में उपखण्डस्तरीय, ग्राम स्तरीय बैठकों की प्रति संलग्न कर दी गई है।

भवदीय

परियोजना निदेशक(पीपीपी)
सार्वजनिक निर्माण विभाग

(... रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/एफ. 12 (सी)/कअ/राजस्व/2022/ 185. दिनांक :-18/05/2022

:– आदेश –:

ब्यावर–मसूदा–गोयला–सड़क एवं अरॉई –सरवाड़ सड़क विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु,इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व/2021/107 दिनांक 22.03.2021 से ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं 1226 रकबा 17.434 हैक्टेयर भूमि में से 06.25 है0 भूमि वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार आरक्षित की गई थी।

उपवन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 5932 दिनांक 27.08.2021से उपरोक्तानुसार ग्राम कानाखेड़ा के खसरा नं 1226 मे से आरक्षित गैर वन भूमि को वन प्रबंधन एवं साधारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही होना अवगत कराते हुए किसी अन्य भूमि का आरक्षण किये जाने मांग की गई।

उक्त पत्र दिनांक 27.08.2021 के क्रम में इस कार्यालय में संधारित चयनित लैण्ड बैंक में से उपयुक्त भूमि के चिन्हिकरण करने बाबत् इस कार्यालय में दिनांक 09.10.2021 को आयोजित बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारी गण को अवगत कराया गया, उक्त लैण्ड बैंक बाबत् अपेक्षित प्रतिवेदन वन विभाग के स्तर से लंबित रहने के कारण प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श उपरांत ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन में उल्लेखित प्रयोजनार्थ गैर–वन भूमि चिन्हित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 28.04.2022 से संयुक्त कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी द्वारा ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा नं. 754 सवाईचक भूमि को वन भूमि से लगता हुआ तथा पौधारोपण एवं वन विभाग हेतु उपयुक्त होना अवगत कराया गया है।

इस बाबत् उपखण्ड अधिकारी पीसॉगन के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन के खसरा नं 754 किस्म बा–3 रकबा 19.44 है0 भूमि को वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु आरक्षणं किये जाने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रतिवेदनों के आधार पर निम्नानुसार आदेश एतद्द्वारा प्रदान किये जाते हैः–

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व /2021/107 दिनांक 22.03.2021 से आरक्षित ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं 1226 रकबा 17.434 हैक्टेयर भूमि में से 06.25 है0 भूमि को वन विभाग द्वारा अनुपयुक्त बताये जाने के कारण अनारक्षित कर सवाईचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान किये जाते है।
2. ब्यावर–मसूदा–गोयला–सड़क एवं अरॉई –सरवाड़ सड़क विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु, गैर–वन भूमि के आरक्षण बाबत् इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 28.04.2022 से गठित सयुंक्त कमेटी की रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी पीसॉगन के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन के खसरा नं 754 किस्म बा–3 रकबा 19.44 है0 में से 06.25 है0 भूमि वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार नीचे अंकित शर्तो के अध्यधीन आरक्षित करने के एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

शर्ते :–

1. आरक्षित भूमि का उपयोग दृढ़तापूर्वक उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित की गई है।
2. आरक्षित भूमि बाबत् राज्य सरकार के नियम/अधिसूचना/परिपत्रो की पूर्ण पालना की जायेगी।

आरक्षित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

संलग्न : नक्शा ट्रेस –1

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक :– सम/2022/ 8075-81. दिनांक :-18 मई 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपवन संरक्षक अजमेर।
2. परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
3. उपखण्ड अधिकारी मसूदा/पीसॉगन।
4. तहसीलदार मसूदा/पीसॉगन को प्रेषित कर लेख है कि नियमान्तर्गत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शा ट्रेस से तरमीम की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। *तहसीलदार पीसांगन के यह भी सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार आरक्षण उपरांत शेष भूमि लैण्ड बैंक के रूप में संचित रखी गई है, भविष्य में वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु, गैर–वन भूमि का आरक्षण आवश्यकतानुसार उक्त संचित भूमि में से किया जायेगा।*
5. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.),एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलक्ट्रेट अजमेर

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- सवाईपुरा
पटवार हल्का :- भगवानपुरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- पीचौलिया
तहसील :- पीसाँगन
जिला :- अजमेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 261
खाता संख्या पुराना :- 1

जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी

काश्तकार का नाम :-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण वन विभाग के अधीन भूमि,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
821/754	6.2500	बारानी 3	6.2500	18.75		स्वीकृत नामांतरकरण : 595 09/06/2022 आवंटन	
कुल खसरे -1	**6.2500**			**18.7500**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - m
प्रतिलिपि सं. - 17722
आई.पी. - 157.38.237.72
नकल जारी करने का स्थान - पीसाँगन

पता - m
शुल्क - 10 Rs/-
दिनाँक व समय -09/Jun/2022 03:37:00 PM

(आर.के. माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक पी पी पी
सा.नि.वि., अजमेर

यू.एस.एन - 1158138032615951
http://apnakhata.raj.nic.in/qr.aspx?usn=1158138032615951

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - MANZOOR ALI
पद - तहसीलदार
हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 09/Jun/2022 03:35:00 PM

Scanned with CamScanner

हलवार
- सवाईपुरा
तह. → पीसांगन
जिला → अजमेर (राज.)
सन् - १९८१-८२
पैं. - १ सेमी. = ५० मीटर

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी।

उपखण्ड अधिकारी

पटवारी

राजस्थान सरकार		NIC-BHUNAKSHA
	खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 09/06/2022 03:43:23 PM
जिला :अजमेर	तहसील : पीसाँगन	भू. अ. नि. क्षेत्र :पीचौलिया
पटवारी हल्का :भगवानपुरा	ग्राम : सवाईपुरा	

खसरा संख्या :821/754 क्षेत्रफल : 6.2500 Hectare खाता संख्या : 261पुराना खाता संख्या :1
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 3 [6.2500, 18.75]
1.) वन विभाग हिस्सा- पूर्ण वन विभाग के अधीन भूमि

सक्षम अधिकारी

"अपना खाता ई-मित्र केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति"

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

हस्ताक्षर-एल.आर.सी. पटवारी
तहसील-पीसांगन

(आर.के. माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक पी पी पी
सा.नि.वि., अजमेर

Scanned with CamScanner

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF IDENTIFIED CA LAND WITH COORDINATES

Project Name : Development of Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E, from existing km 44.300 to km 0.000, in the State of Rajasthan

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21362/2016 (1.2401 Ha.)

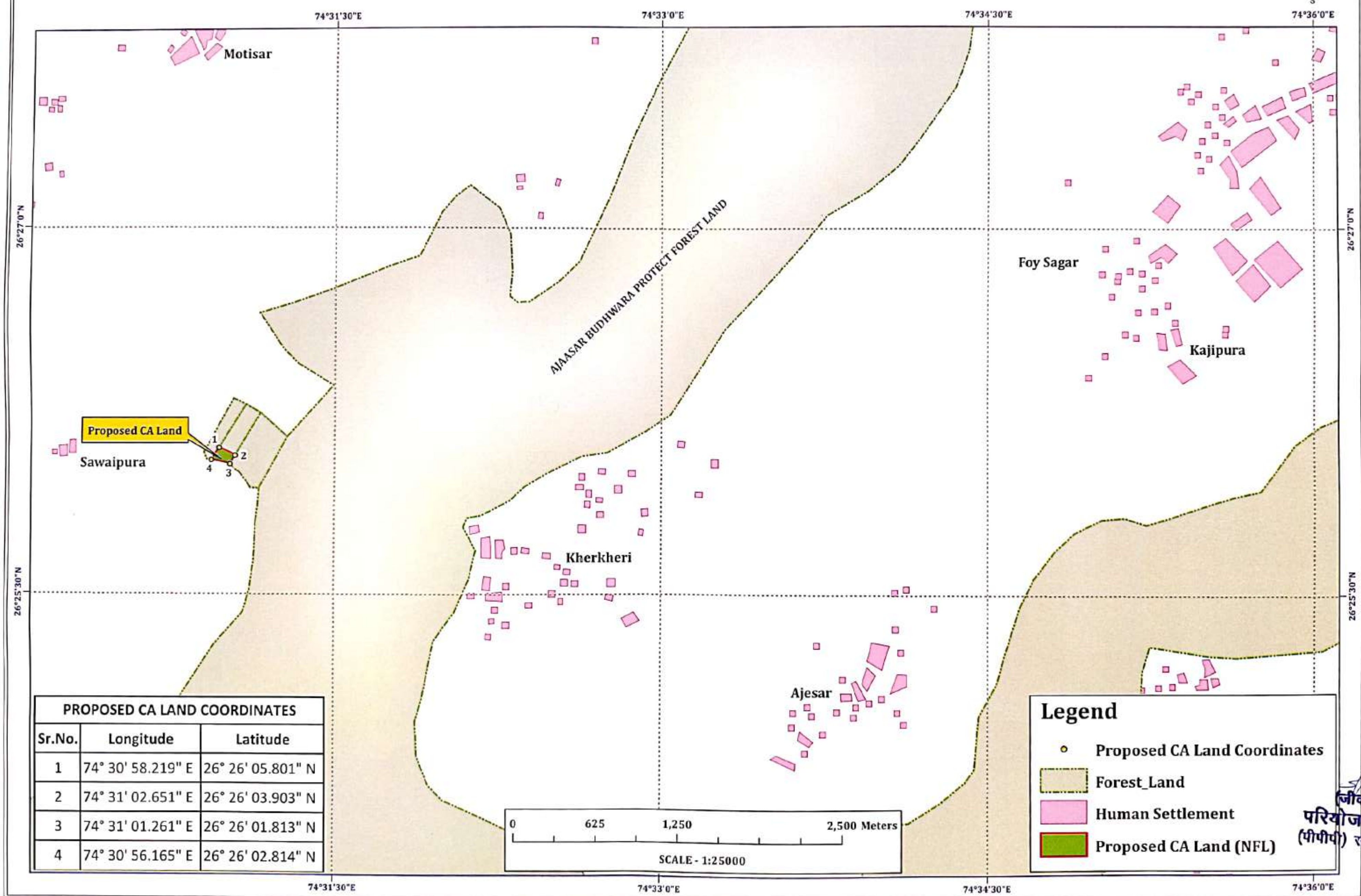

PROPOSED CA LAND COORDINATES

Sr.No.	Longitude	Latitude
1	74° 30' 58.219" E	26° 26' 05.801" N
2	74° 31' 02.651" E	26° 26' 03.903" N
3	74° 31' 01.261" E	26° 26' 01.813" N
4	74° 30' 56.165" E	26° 26' 02.814" N

(जीवराज रेगर)
परियोजना निदेशक,
(पीपीपी) सा.नि.वि. अजमे

MAP SHOWING 1:50000 SCALE SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF IDENTIFIED CA LAND WITH COORDINATES

Project Name : Development of Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E, from existing km 44.300 to km 0.000, in the State of Rajasthan

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21362/2016 (1.2401 Ha.)

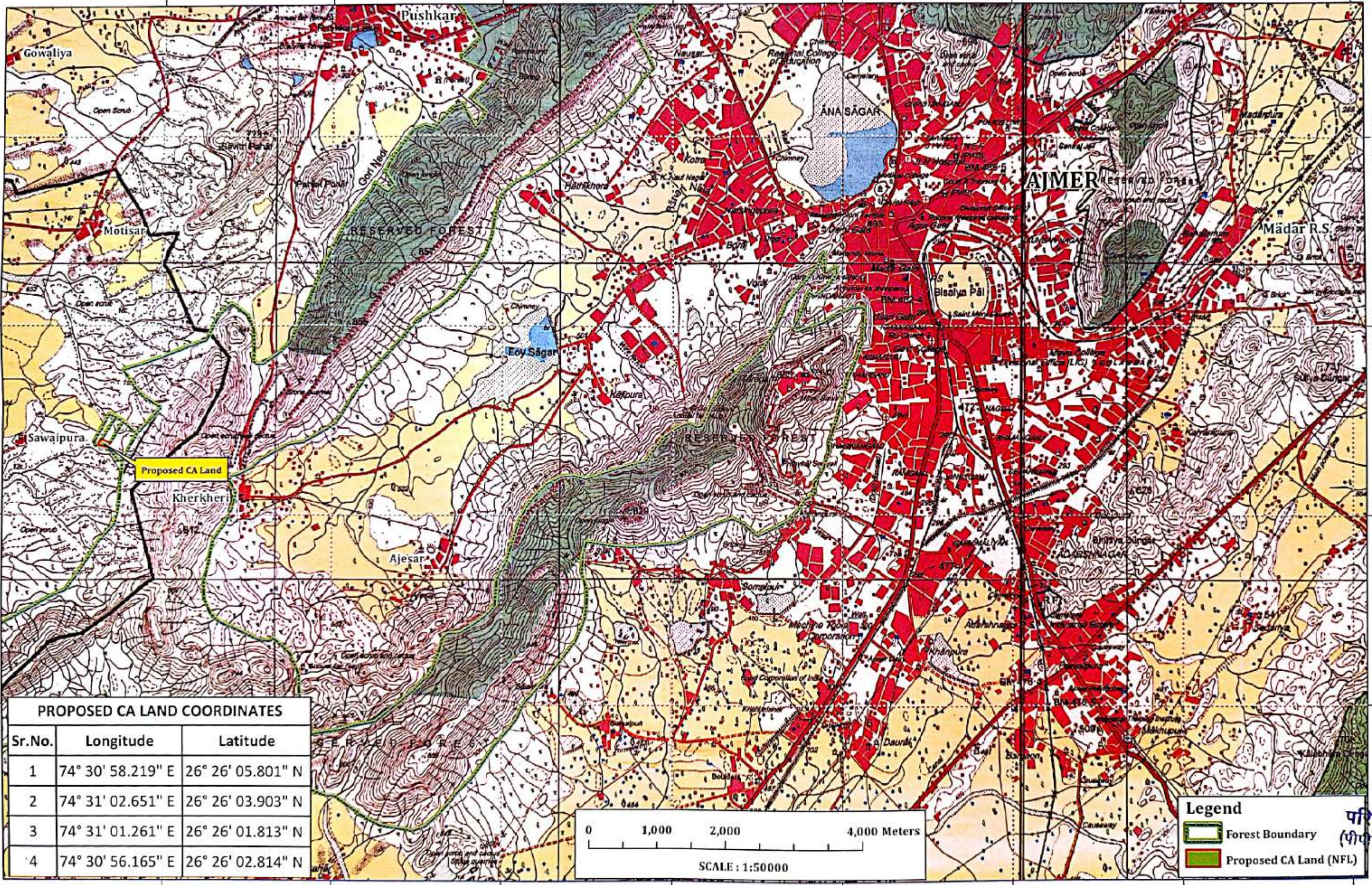

PROPOSED CA LAND COORDINATES		
Sr.No.	**Longitude**	**Latitude**
1	74° 30' 58.219" E	26° 26' 05.801" N
2	74° 31' 02.651" E	26° 26' 03.903" N
3	74° 31' 01.261" E	26° 26' 01.813" N
4	74° 30' 56.165" E	26° 26' 02.814" N

(जीवराज रैगर)
परियोजना निदेशक
(पीपीपी) रा.रा.मि. अजमेर

FIRST EDITION

AJMER, JAIPUR & TONK DISTRICTS. Surveyed 1969-70.

RĀJASTHĀN

Magnetic Variation from True North about 0° in 1970. (Annual change negligible).

NO. 45 $\frac{N}{3}$

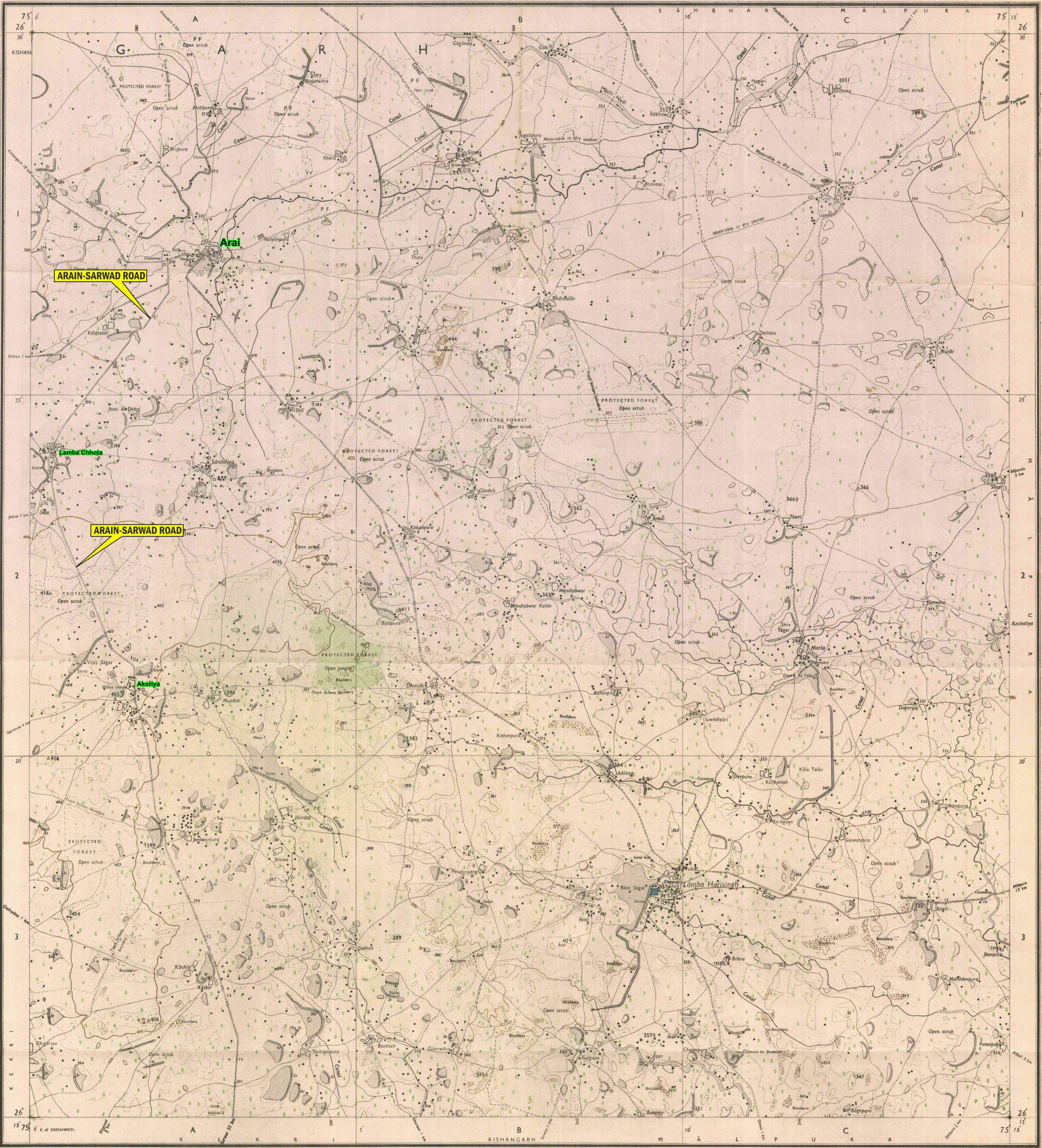

REG. No. 3820 PZD'71 (N.W.C. 42-1:33,333)-656'76-2706'77-3206'80-4506'86.

- Roads, metalled: according to importance; distance stone
- „ unmetalled: do. do. ; bridge
- Cart-track. Pack-track and pass. Foot-path with bridge
- Bridges: with piers: without. Causeway. Ford or Ferry
- Streams: with track in bed; undefined. Canal
- Dams: masonry or rock-filled: earthwork. Weir
- River banks: shelving; steep, 3 to 6 metres; over 6 metres
- „ dry with water channel: with island & rocks. Tidal river
- Submerged rocks. Shoal. Swamp. Reeds
- Wells: lined; unlined. Tube-well. Spring. Tanks: perennial: dry
- Embankments: road or rail: tank. Broken ground
- Railways, broad gauge: double; single with station; under constrn.
- „ other gauges: do. ; do. with distance stone; do.
- Mineral line or tramway. Telegraph line. Cutting with tunnel
- Contours with sub-features. Rocky slopes. Cliffs.
- Sand features, (1) flat, (2) sand-hills and dunes (surveyed), (3) shifting dunes

1st Edition 1971.

Index to Sheets

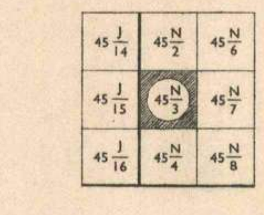

Published under the direction of Brigadier J. S. Paintal, M.I.S., M.I.E., *Surveyor General of India.*
1971.

500 m to 1 cm — 1:50,000 — 2 cm to 1 km

Metres 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 Kilometres

HEIGHTS & CONTOURS IN METRES

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

*Water features are shown in blue where they generally contain water.
*Cultivated areas are coloured yellow.
*The exterior boundaries of areas of Reserved or Protected Forests are shown by green ribands.

Contours are approximate.
A relative height, .8r, represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
Wooded areas are coloured green. Scattered trees and other vegetation are in green, but prominent surveyed trees are in black.

*Not applicable.

The kilometre stone numbers along roads and canals are shown in slant type, e.g., '5' whereas milestone numbers are shown in upright type. e.g., '5'.
Unmetalled roads in this sheet are motorable in dry season.
Tanks, shown dry, in this area usually contain water from July to October.
Cultivation is periodic and dependent on rainfall.
A relative height, e.g., 6r, marked along a canal, indicates the height of the top of the canal embankment above the adjacent country.

Administrative Index

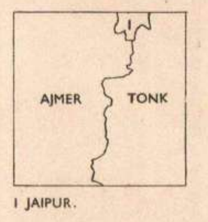

PRINTED AT THE 103 (P.Z.O.) PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.

- Towns or Villages: inhabited: deserted. Fort
- Huts: permanent: temporary. Tower. Antiquities
- Temple. Chhatri. Church. Mosque. Īdgāh. Tomb. Graves
- Lighthouse. Lightship. Buoys: lighted: unlighted. Anchorage
- Mine. Vine on trellis. Grass. Scrub — M
- Palms: palmyra: other. Plantain. Conifer. Bamboo. Other trees.
- Boundary, international
- „ state: demarcated; undemarcated
- „ district: subdivn., tahsil or tāluk; forest
- Boundary pillars: surveyed; unlocated: village trijunction
- Heights triangulated: station; point; approximate — △200 .200 .200
- Bench-mark: geodetic; tertiary; canal — .BM 63·3 .BM 63·3 .63
- Post office. Telegraph office. Combined office. Police station — PO TO PTO PS
- Bungalows: dāk or travellers'; inspection. Rest-house — DB IB (Canal) RH (Forest)
- Circuit house. Camping ground. Forest: reserved; protected — CH CG RF PF
- Spaced names: administrative; locality or tribal — KIKRI NĀGA

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 1971.
Price Five Rupees.

34 34

REFER TO THIS MAP AS :- 1:50.000
SHEET 45 N/4 FIRST EDITION

AJMER & TONK DISTRICTS. Surveyed 1969-70.

RĀJASTHĀN

FIRST EDITION

Magnetic Variation from True North about ½° West in 1970. (Annual change negligible).

No. 45 $\frac{N}{4}$

REG. No. 2823 HD'71 (N. W. C. 42-1:33,333)-668'76-2506'77-3206 80-4106'83.

Roads, metalled: according to importance: distance stone
" unmetalled; do. do. ; bridge
Cart-track. Pack-track and pass. Foot-path with bridge
Bridges: with piers: without. Causeway. Ford or Ferry
Streams: with track in bed; undefined. Canal
Dams: masonry or rock-filled; earthwork. Weir
River banks: shelving; steep, 3 to 6 metres; over 6 metres
" dry with water channel: with island & rocks. Tidal river
Submerged rocks. Shoal. Swamp. Reeds
Wells: lined; unlined. Tube-well. Spring. Tanks: perennial: dry
Embankments: road or rail; tank. Broken ground
Railways: broad gauge: double; single with station; under constrn.
" other gauges: do. : do. with distance stone; do.
Mineral line or tramway. Telegraph line. Cutting with tunnel
Contours with sub-features. Rocky slopes. Cliffs.
Sand features: (1) flat (2) sand-hills and dunes (surveyed) (3) shifting dunes

1st Edition 1971.
(Previous Editions on '1-inch scale' 1st. 1933; 2nd 1951).

Index to Sheets

45 $\frac{J}{15}$	45 $\frac{N}{3}$	45 $\frac{N}{7}$
45 $\frac{J}{16}$	45 $\frac{N}{4}$	45 $\frac{N}{8}$
45 $\frac{K}{13}$	45 $\frac{O}{1}$	45 $\frac{O}{5}$

Published under the direction of Brigadier J. S. Paintal, M.I.S., M.I.E., *Surveyor General of India*, 1971.

1:50,000

500 m to 1 cm — 2 cm to 1 km

Metres 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 Kilometres

HEIGHTS & CONTOURS IN METRES

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

*Water features are shown in blue where they generally contain water.
*Cultivated areas are coloured yellow.
*The exterior boundaries of areas of Reserved or Protected Forests are shown by green ribands.

Contours are approximate.
A relative height, .8r, represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
Wooded areas are coloured green. Scattered trees and other vegetation are in green, but prominent surveyed trees are in black.

*Not applicable.

The kilometre stone numbers along roads are shown in slant type, e.g., '5' whereas milestone numbers are shown in upright type, e.g., '5'.
Tanks, shown dry, in this area usually contain water from July to October.
Cultivation is periodic and dependent on rainfall.

Administrative Index

TONK
AJMER

1 DISPUTED.

PRINTED AT THE 101(H.L.O) PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA

Towns or Villages: inhabited; deserted. Fort
Huts: permanent; temporary. Tower. Antiquities
Temple. Chhatri. Church. Mosque. Idgāh. Tomb. Graves
Lighthouse. Lightship. Buoys: lighted; unlighted. Anchorage
Mine. Vine on trellis. Grass. Scrub
Palms: palmyra; other. Plantain. Conifer. Bamboo. Other trees.
Boundary, international
" state, demarcated; undemarcated
" district; subdivn., tahsil or tāluk; forest
Boundary pillars: surveyed; unlocated; village trijunction
Heights, triangulated: station, point; approximate — 200 .200 .200
Bench-mark: geodetic; tertiary; canal — BM 63·3 .BM 63·3 .63
Post office. Telegraph office. Combined office. Police station — PO TO PTO PS
Bungalows: dāk or travellers; inspection. Rest-house — DB IB (Canal) RH (Forest)
Circuit house. Camping ground. Forest: reserved; protected — CH CG RF PF
Spaced names: administrative; locally or tribal — KIKRI NAGA

REFER TO THIS MAP AS :- 1:50.000
SHEET 45 N/4 FIRST EDITION

Mohan Book Depot
AUTHORISED DEALER OF SURVEY OF INDIA'S PUBLICATION
B-27, Roop Vihar, Mohan Marg, New Sanganer Road, Sodala, JAIPUR-19
Phone : 0141-2290478, Fax : 2292829

Form- 1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No./Rev./2020/10261. Dated 28/X/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.2401 Hectare** of forest land in **Village LAMBA of Tehsil Arain forest division Arain** proposed to be **diverted in favour of Project Director (PPP), Public Works Department, Ajmer for development of Arain-Sarwar Road in District Ajmer**

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **1.2401 Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to **annexure**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

(Prakash Rajpurohit)
District Collector, AJMER

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 को सायं 04:00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :-

1. **प्रस्ताव** :- परियोजना निदेशक (पीपीपी), सावर्जनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा पत्रांक 320 दिनांक 06.01.2020 से अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा अंराई-सरवाड़ सडक को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **ग्राम लाम्बा तहसील अंराई की 1.2401है0 वन भूमि** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः परियोजना निदेशक (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभागअजमेर द्वारा चाहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

5.10.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अजमेर	उप वन सरंक्षक, अजमेर	जिला कलक्टर, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी अंराई जिला अजमेर	परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर	

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 का कार्यवाही विवरण :–

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 को सायं 04:00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

1. **प्रस्ताव** :– परियोजना निदेशक (पीपीपी), सावर्जनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा पत्रांक 320 दिनांक 06.01.2020 से अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा अंराई–सरवाड़ सड़क को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **ग्राम लाम्बा तहसील अंराई की 1.2401है0 वन भूमि** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः परियोजना निदेशक (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभागअजमेर द्वारा चाहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,अजमेर

उप वन संरक्षक,
अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
अंराई जिला अजमेर

परियोजना निदेशक (पीपीपी)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अरांई, जिला अजमेर

क्रमांक/राजस्व/2020/247 दिनांक:- 29.07.2020

निमित्त्

परियोजना निदेशक (पी.पी.पी)
सा.नि.वि. अजमेर।

विषयः– अरांई–सरवाड़ सड़क को विकसित किए जाने हेतु वन क्षैत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु FRA Certificate जारी के सम्बन्ध में।

प्रंसगः– आपका पत्र क्रमांक/पीपीपी/अजमेर/2020/416 दिनांक 23.07.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के जरिये अरांई–सरवाड़ सड़क को विकसित किए जाने हेतु वन क्षैत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु FRA Certificate जारी करने हेतु निवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय स्तर की समुचित कार्यवाही की जाकर निम्न दस्तावेज संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्नः–

1. बैठक कार्यवाही विवरण
2. FRA Certificate

उपखण्ड अधिकारी
अरांई, जिला अजमेर

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अराईं अनुसचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखंड अराईं परिक्षेत्र के अतर्गत ग्राम लाम्बा (1.2401 है0 वन भूमि) का कार्यालय परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि. वि. अजमेर के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और एवं परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय समिति, (तहसील अराई) की दिनाक 28/07/2020 को संपन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और एवं परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री प्रियंका बड़गूजर उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1.	सुश्री प्रियंका बड़गूजर	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष।
2.	श्री मधुसूदन	विकास अधिकारी प.स. अराईं	सदस्य।
3.	श्रीमति शीला चौधरी	तहसीलदार, अराई	सदस्य।
4.	श्री जितेन्द्र सिंह	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य।

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपखंड अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अराईं– सरवाड सड़क को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन भूमि परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि, अजमेर के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत बैठक लाम्बा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी, अराईं अजमेर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड अराईं के ग्राम लाम्बा परिक्षेत्र के अंतर्गत अराईं– सरवाड सडक को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन भूमि परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि, अजमेर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

28/07/2020

उपखंड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील– अराईं
जनपद– अजमेर

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी महोदय अजमेर को सूचनार्थ हेतु।

28/07/2020

उपखंड/अध्यक्ष
उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील– अराईं
जनपद– अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अराईं

बैठक कार्यवाही विवरण

उपखंड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28/07/2020 का कार्यवाही विवरण:–

उपखंड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28/07/2020 का कार्यालय उपखंड अराईं में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी:–

परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि. अजमेर को अराईं– सरवाड सड़क को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन क्षेत्र आने के कारण वन भूमि का प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे है, का प्रमाण पत्र से संबन्धित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जो परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि. अजमेर को अराईं– सरवाड सड़क को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन क्षेत्र आने के कारण वन भूमि का प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे है, के प्रमाण पत्र से संबन्धित है।

उपखंड अराईं, जिला अजमेर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति /समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरवाड़
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सावाड़
वन मण्डल-अजमेर

तहसीलदार अराईं
जिला अजमेर

28/07/2020
उपखंड अधिकारी
अराईं (अजमेर)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति अराईं (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, छोटा लाम्बा

पंचायत समिति-अरांई जिला-अजमेर (राज.)

श्री कानाराम पंचवंशी
सरपंच
Cell: 9413041686

प्रेषित : अपखंड अधिकारी जी,
अपखंड - अरांई

दिनांक : 28.07.2020

क्रमांक: 58

ग्रा० पं० बैठक दिनांक 20.07.20
प्रस्ताव सं. 22 -

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अरांई - सरवाड़ सड़क को विकसित किये जाने का कार्य एशियन विकास बैंक की कार्य योजना में सम्मिलित है। इस सड़क पर स्थित ग्राम पंचायत के कि.मी. 8/640 से कि.मी. लाम्बा अन्तर्गत बीड़ वन क्षेत्र सड़क के कि.मी. 8/640 से कि.मी. 9/391 तक 0751 कि.मी. लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन क्षेत्र आता है। इस सड़क का उपयोग ग्राम पंचायत के नागरिकों द्वारा आवागमन में ~~उपयो~~ किया जा रहा है।

यदि उक्त सड़क का निर्माण कार्य किसी भी संस्था द्वारा किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई भी आपत्ति नहीं है। उक्त परिक्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जाति व जनजाति के ~~[illegible]~~ परिवार निवास नहीं कर रहे हैं जिनके हित इससे प्रभावित हों।

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा
पं.स. अरांई (अजमेर)

Scanned with CamScanner